THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI) : (a) to (f) The State Government of Tamil Nadu had sent a detailed proposal on the proposed Madras Industrial Park (also called Indo-Singa-pore Corridor). State Government has been advised to draw up a revised proposal to be in conformity with existing policy guidelines.

No such trade corridor has been set up at Bangalore. However an agreement for setting up of an Information Technology Park was signed between a Consortium of Singapore Companies, M/s. TATA Group and the Karnataka State Industrial Development Corporation on 29-1-1994 at Bangalore.

Revival of Mandya National Paper Mills

3959. SHRI B. K. HARIPRASAD : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Mandya National Paper Mills Employees Joint Action Federation has submitted a memorandum to the Central Government containing a proposal for the rehabilitation of the Mandya National Paper Mills, now under reference to BIFR;

(b) if so, whether Government have studied the proposal in its entirely

(c) whether a revival proposal was earlier attempted in 1984 which could not turn around the unit to viability, solely due to mismanagement and deployment of funds in non-priority areas, thereby eroding the capital base further; and

(d) whether Government would give the current proposal a fair trail considering the livelihood of more than 1200 families now in jeopardy and also prospects of the unit making a recovery?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI) : (a) Yes, Sir.

(b) and (d) The case of Mandya National Paper Mills Ltd. including the employees' scheme was placed before the Special Tripartie Committee. Mandya National Paper Mills Ltd. as a sick company has been referred to BIFR for decision about its rehabilitation under the Sick Industrial Company Act.

(c) There was time over-run and cost over-run in the implementation of the rehabilitation scheme approved in 1984 and desired results could not be achieved.

कागज उद्योग की दक्षता

3960. **श्री अजीत जोगी :**
श्री मूलचंद मीणा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिस्थितिकी-संतुलन को बिगाड़े बिना कागज उद्योग को और अधिक ऊर्जा की बचत करने वाला उद्योग बनाने के लिये कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी, हां । सरकार ने ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों व बायलरों के प्रयोग द्वारा कागज उद्योग को और अधिक ऊर्जा दक्ष बनाने पर बल दिया है । केन्द्रीय लुगदी तथा कागज अनुसंधान संस्थान लुगदी और कागज मिलों की विभिन्न प्रक्रियाओं में ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए अल्प और दीर्घकालीन उपायों का पता लगा रहा है । एशियाई विकास बैंक के तकनीकी सहयोग से लुगदी और कागज सहित अत्यधिक ऊर्जा व प्रदूषण-वाले औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा बचत व पर्यावरण सुधार की एक परियोजना आरंभ की गई है । इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने स्पर्धा बढ़ाने और ऊर्जा बचत में सुधार लाने के लिए ऊर्जा के कुशल प्रयोग और संरक्षण में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन दर्शाने वाले औद्योगिक एककों के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार योजना आरंभ की है ।

बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंध में विचारगोष्ठी

3961. **श्री अजीत जोगी :**
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रिक कम्पनियों तथा शीर्षस्थ उद्योगपतियों के सहयोग से हाल ही में बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंध में एक विचारगोष्ठी आयोजित की गयी थी;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त विचारगोष्ठी में किन-किन मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था; और

(ग) इसका डंकल प्रस्तावों की तुलना में बौद्धिक संपदा अधिकार पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) हाल ही में उद्योग मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में कोई संगोष्ठी आयोजित नहीं की है । किन्तु, उद्योग मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में यू० एन० की एक विशिष्ट एजेन्सी, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, भारतीय उद्योग महासंघ और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 16 से 18 मार्च, 1994 तक नई दिल्ली में आयोजित "उद्योग द्वारा पेटेन्ट जानकारी का प्रयोग" के साथ संयुक्त रूप से एक संगोष्ठी का

आयोजन किया था । इस संगोष्ठी का उद्देश्य उद्योग और अनुसंधान तथा विकास संगठनों द्वारा तैयार किये गए पेटेंट संबंधी दस्तावेजों में निहित प्रौद्योगिकी जानकारी के उपयोग को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना था ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसायटी को दीर्घकालिक ऋण दिया जाना

3962. श्री अजीत जोगी :
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कतिपय उपक्रमों द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी को आसान शर्तों पर दीर्घकालिक ऋण दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों के नाम क्या हैं तथा उनके द्वारा कितनी-कितनी राशि दी गई है और ये ऋण किन शर्तों पर एवं कितनी अवधि के लिए दिए जाते हैं ; और

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उक्त उपक्रमों द्वारा इस संबंध में सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Hiring of R & D Personnel by PSUs

3963. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the names of the Public Sector Companies which continue to hire R&D personnel;

(b) which of the public sector undertakings are staffed by persons over 50 years of age in technical category;

(c) to what extent, with the recruitment ban, the public sector undertakings have suffered for want of talented and skilled technical persons; and

(d) how Government propose to remove the R&D gap in the Public Sector Undertakings to make them economically viable ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI) : (a) and (b) Since all appointments below the board level are made by the board of directors of individual PSUs without reference to Government, centralised data is not maintained at a disse^regated level to cover all disciplines including R&D.

(c) Does not arise as there is no ban on recruitment in the public sector where there is a need for such recruitment.

(d) Formulation of R&D policy is the responsibility of PSUs and form a part of their overall corporate strategy.

लघु उद्योगों के विकास के लिए कानून की समीक्षा

3964. श्री चिमनभाई हरीभाई शुक्ल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से उन सभी कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें निरस्त करने के लिए कहा है जो लघु तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास में बाधा पहुंचा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में लघु और ग्रामीण उद्योगों के विकास की निगरानी के लिए कोई तंत्र विद्यमान हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां ।

(ख) लघु, बहुत छोटे तथा ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने और सुदृढ़ बनाने के लिए नीतिगत उपायों को, कार्यान्वयन की प्रक्रिया के रूप में, सरकार ने सभी राज्य सरकारों को राज्य के सभी नियमों और प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा करने की सलाह दी है ताकि जहां तक वे लघु तथा ग्रामीण उद्योगों पर लागू हैं उनको सरल तथा तर्क संगत बनाया जा सके ।

(ग) देश में लघु तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास की निगरानी के लिए सरकार ने उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग की स्थापना की है ।

(घ) विभाग को उसके प्रयासों में निम्नलिखित द्वारा सहायता दी जाती है :—

(1) विकास आयुक्त (लघु उद्योग)
(2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग
(3) कॅथर बोर्ड
(4) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

इसके अलावा, राज्य स्तर पर उद्योग निदेशालय तथा खादी ग्रामीण उद्योग बोर्ड भी निगरानी कर रहे हैं ।

Licensing Norms for Sugar Mills

3965. SHRI CHATURANAN MISHRA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government has decided to relax the licensing norms for sugar mills; and